रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092025-266221
CG-DL-E-17092025-266221

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 605]	नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2025/भाद्र 26, 1947
No. 605]	NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2025/BHADRA 26, 1947

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 673(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित मसौदा, जिसे, केंद्रीय सरकार विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण अधिनियम, 2025 (2025 *का* 17) की धारा 10 सपठित धारा 4, धारा *5* की उपधारा (1) और उपधारा (2*)* द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है*;* और एतद्द्वारा यह सूचना प्रदान की जाती है कि भारत के राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, की प्रतियाँ जनता के लिए उपलब्ध होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के पश्चात उक्त मसौदा नियमों पर विचार किया जाएगा*;*

आपत्ति या सुझाव यदि कोई हों, उन्हें निदेशक, भारत सरकार, 'बी' ब्लॉक, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली - 110003 को संबोधित किया जा सकता है*;* अथवा *rohit.raj@gov.in* पर मेल किया जा सकता है*;*

उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और विस्तार. –** (1) इन नियमों को विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण नियम, 2025 कहा जाए।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं. – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण अधिनियम, 2025 (2025 का 17) से है;

(ख) "अभिसमय" से तात्पर्य 16 नवंबर, 2001 को केप टाउन में हस्ताक्षरित मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर अभिसमय से है;

(ग) "सीटीसी रजिस्टर" से तात्पर्य इन नियमों के अंतर्गत बनाए गए रजिस्टर से है;

(घ) "आवेदन" से तात्पर्य इन नियमों के अंतर्गत प्रस्तुत किसी भी आवेदन, नोटिस या दस्तावेज से है;

(ङ) "प्रपत्र" से तात्पर्य इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में संलग्न प्रपत्र से है;

(च) "आईडीईआरए" से तात्पर्य सम्मेलन के प्रोटोकॉल में निर्धारित प्रारूप में अपरिवर्तनीय पंजीकरण रद्द करना और निर्यात अनुरोध प्राधिकरण से है;

(छ) "अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री" से तात्पर्य समझौते के अनुच्छेद 16 के तहत स्थापित अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री से है;

(ज) "रजिस्ट्री प्राधिकरण" से तात्पर्य भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 (2024 का 16) की धारा 3 के तहत गठित नागर विमानन महानिदेशालय से है;

(झ) "स्टेकधारक" से तात्पर्य इन नियमों के परिशिष्ट 'ख' में सूचीबद्ध स्टेकधारक से है;;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए किन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें दिए गए हैं।

3. रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा निर्देश.— (1) रजिस्ट्री प्राधिकरण अभिसमय और प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के उद्देश्य से निदेश जारी करेगा।

(2) नागर विमानन महानिदेशालय की वेबसाइट पर मसौदा प्रकाशित करने के पश्चात चौदह दिनों की अवधि के लिए निदेश जारी किए जाएंगे ताकि इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जा सकें।

बशर्ते कि महानिदेशक, जनहित में और लिखित आदेश द्वारा ऐसी आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने की आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं या ऐसी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने की अवधि को कम कर सकते हैं।

(3) उप-नियम (1) के अंतर्गत जारी किए गए प्रत्येक निदेश का अनुपालन, उस व्यक्ति(व्यक्तियों) अथवा संस्था(संस्थाओं) द्वारा किया जाएगा, जिन्हें ऐसा निदेश जारी किया गया है।

4. रजिस्ट्री प्राधिकरण के कार्य. — रजिस्ट्री प्राधिकरण निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:

(i) सीटीसी रजिस्टर की स्थापना एवं रखरखाव; और

(ii) और उपर्युक्त से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले हेतु।

5. रजिस्ट्री प्राधिकरण में किसी विमान वस्तु पर हित का पंजीकरण.- (1) किसी विमान वस्तु का परिचालन करने वाले किसी भी देनदार को, जहाँ ऐसी विमान वस्तु किसी अंतर्राष्ट्रीय हित के अध्यधीन है, भारत में ऐसी विमान वस्तु के पंजीकरण के तीस (30) दिनों के भीतर रजिस्ट्री प्राधिकरण में ऐसी विमान वस्तु में हित पंजीकृत कराना होगा;

बशर्ते कि किसी भी विमान वस्तु के संबंध में जो, इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख तक, भारत में पहले से ही पंजीकृत है अथवा भारत में परिचालित की जा रही है और किसी अंतर्राष्ट्रीय हित के अध्यधीन है, देनदार इन नियमों के लागू होने की तारीख से नब्बे (90) दिनों के भीतर रजिस्ट्री प्राधिकरण में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हित को पंजीकृत करेगा।

(2) उप-नियम (1) के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र - I में किया जाएगा और रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा सीटीसी रजिस्टर में इस बात से संतुष्ट होने पर पंजीकृत किया जाएगा कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण है और इन नियमों का अनुपालन करता है।

(3) उप-नियम (1) के तहत पंजीकरण होने पर, रजिस्ट्री प्राधिकरण अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र में विमान को सौंपे गए भारतीय राष्ट्रीयता पंजीकरण चिह्न के माध्यम से ऐसी विमान वस्तु की पहचान करता है।

6. किसी विमान वस्तु पर बकाया राशि के रिकोर्डों का अनुरक्षण. – (1) नियम 5 के उपनियम (3) के तहत पंजीकरण के पश्चात, देनदार विमान वस्तु के स्वामी या प्रचालक द्वारा स्वामित्व या उपयोग के संबंध में उत्पन्न, उससे संबंधित या बकाया राशि के रिकॉर्ड को अनुरक्षित रखेगा और रजिस्ट्री प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

(2) ऐसा देनदार इन नियमों के परिशिष्ट 'क' के तहत सूचीबद्ध देय राशियों को रजिस्ट्री प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा और समय-समय पर इन्हें अनुरक्षित रखेगा।

(3) देनदार द्वारा प्रस्तुतीकरण और अनुरक्षण प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात् कैलेंडर माह के 5वें दिन से पहले नहीं किया जाएगा, तथा जब तक विमान वस्तु पर हित भारत में सीटीसी रजिस्टर पर पंजीकृत रहेगा, तब तक प्रस्तुतीकरण और अनुरक्षण जारी रहेगा।

(4) ऐसा प्रस्तुतीकरण नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा संचालित पोर्टल पर इन नियमों के साथ संलग्न इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में फार्म II में किया जाएगा।

(5) उप-नियम (3) के तहत प्रस्तुत किए जाने की अवधि के बावजूद, देनदार निम्नलिखित स्थिति में रजिस्ट्री प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा और सूचित करेगा:-

(क) रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा कोई विशिष्ट निर्देश; या

(ख) लेनदार को भुगतान में चूक ।

7. सीटीसी रजिस्टर तक पहुंच. – सीटीसी रजिस्टर विशिष्ट विमान वस्तु के संबंध में स्टेकधारक और लेनदार की श्रेणी के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुलभ होगा।

8. चूक होने पर रजिस्ट्री प्राधिकरण को सूचित करना. – (1) कोई भी लेनदार अभिसमय या प्रोटोकॉल के अंतर्गत कोई भी उपाय करने से पूर्व प्रपत्र III में घोषित चूक की सूचना रजिस्ट्री प्राधिकरण को देगा।

(2) उपनियम (1) के अंतर्गत प्ररूप 3 में ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्री प्राधिकरण इस प्राप्ति की सूचना देगा।

9. स्टेकधारकों के साथ समन्वय.– (1) नियम-8 के उप-नियम (2) के अंतर्गत प्राप्ति की पावती पर, अगले कार्य दिवस की समाप्ति से पूर्व, रजिस्ट्री प्राधिकरण:-

(क) सभी श्रेणी के स्टेकधारकों को सूचित करेगा;

(ख) अपनी वेबसाइट पर विमान वस्तु विवरण सहित एक नोटिस प्रकाशित करेगा;

(ग) तीन कार्य दिवसों के भीतर बकाया राशि जमा करने का अनुरोध करेगा;

(2) ऐसे विमान वस्तु पर बकाया राशि का दावा करने वाले स्टेकधारक की श्रेणी को प्रपत्र-IV में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना होगा।

10. विमान का पंजीकरण रद्द करना और निर्यात करना. — यदि लेनदार प्रोटोकॉल के अनुच्छेद XIII के तहत उपाय का प्रयोग करने की इच्छा रखता है, रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

11. चूक के बाद उत्पन्न होने वाली देय राशि. — नियम 8 के तहत रजिस्ट्री प्राधिकरण को सूचित करने के बाद उत्पन्न होने वाले परिशिष्ट 'क' में सूचीबद्ध किसी भी बकाया को प्राथमिकता दी जाएगी और भारतीय वायुयान अधिनियम, 2024 या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के प्रावधानों के अनुसार भारत से विमान के निर्यात से पूर्व आईडीईआरए धारक द्वारा (i) से (iv) और (vi) में सूचीबद्ध स्टेकधारकों को इसका भुगतान करना होगा।

12. अभिसमय के अनुच्छेद 40 के तहत अधिकारों या हितों का पंजीकरण. — अभिसमय के अनुच्छेद 40 के तहत परिशिष्ट 'ख' में सूचीबद्ध स्टेकधारक की श्रेणी के अधिकार या हित को स्टेकधारक द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री के साथ ऐसे विमान वस्तु पर पंजीकरण योग्य गैर-सहमत अधिकार या हित (आरएनसीआरआई) के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

13. परिशिष्टों में संशोधन. — रजिस्ट्री प्राधिकरण इन नियमों के अंतर्गत परिशिष्टों में संशोधन कर सकता है।

परिशिष्ट क

[नियम 6]

विमान वस्तु पर बकाया देय राशियों की श्रेणियाँ

a) एयरलाइन कर्मचारियों का अप्रदत्त वेतन

b) लैंडिंग शुल्क, आवास शुल्क और पार्किंग शुल्क सहित हवाईअड्डा प्रचालक शुल्क।

c) मार्ग दिक्चालन और सुविधा शुल्क

d) टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग शुल्क

e) ईंधन शुल्क

f) उक्त विमान वस्तु के पट्टाकरण या वित्तपोषण के संबंध में देय माल और सेवा कर

g) रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट सेवा प्रदाता का कोई अन्य बकाया।

परिशिष्ट ख

[नियम 12]

स्टेकधारकों की श्रेणियाँ

(i) एयरलाइन कर्मचारी

(ii) हवाईअड्डा प्रचालक

(iii) वायु दिक्चालन सेवा प्रदाता

(iv) माल और सेवा कर प्राधिकरण

(v) न्यायालयी आदेश की आंशिक या पूर्ण संतुष्टि में किसी विमान वस्तु की अटैचमेंट की अनुमति देने वाला न्यायालय आदेश प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति

(vi) रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी

परिशिष्ट 'ग'

प्रपत्र - I

सीटीसी रजिस्टर में विमान वस्तु के पंजीकरण हेतु आवेदन

खंड 1 – विमान वस्तु विवरण		
क्रम सं.	पंजीकरण चिह्न	**वीटी-**
1.	विनिर्माता का नाम और पता	
2.	विमान वस्तु का प्रकार और मॉडल	
3.	विमान वस्तु का विनिर्माता क्रमांक संख्या	
4.	इंजनों का प्रकार और मॉडल	
5.	लेनदार का नाम और पंजीकृत पता	

6.	देनदार का नाम और पंजीकृत पता	
7.	कोई अन्य व्यक्ति जिसका उस वस्तु पर अधिकार हो (बंधककर्ता)	

खंड 2 *प्राधिकृत व्यक्ति या उसके प्रमाणित नामिती का विवरण*

आवेदक है: (कृपया उपयुक्त बॉक्स पर निशान लगाएं)

*अधिकृत पक्ष ☐ ****प्रमाणित नामिती*** ☐

****इसके प्रमाणित नामिती के लिए प्राधिकार।***

नाम:		हस्ताक्षर:

पता	
ईमेल	
दूरभाष	

खंड 3— केवल रजिस्ट्री प्राधिकरण के आधिकारिक उपयोग हेतु

नाम:	पद का नाम:
तारीख:	हस्ताक्षर:

प्रपत्र : II

देनदार द्वारा बकाया देय राशियों की रिपोर्टिंग का प्रारूप

क. लेनदार (लेनदारों)/पट्टाकर्ता (पट्टाकर्ताओं)/देनदार का विवरण			
स्वामी का नाम	पता	राष्ट्रीयता	व्यापार का मुख्य स्थान
पट्टाकर्ता/लेनदार का नाम	पता	राष्ट्रीयता	व्यापार का मुख्य स्थान

पट्टेदार/देनदार का नाम	पता	राष्ट्रीयता	व्यापार का मुख्य स्थान

ख. विमान वस्तु विवरण

पंजीकरण चिह्न	
विमान का प्रकार और मॉडल	
विमान विनिर्माता क्रमांक संख्या	
इंजन का मॉडल	
इंजन विनिर्माता क्रमांक संख्या	1. 2. 3. 4.

क. --माह/--वर्ष के अंत में विमान/वस्तु के लिए बकाया देय राशियों का सारांश

क्रम सं.	श्रेणी	राशि (रु.)
1.	एयरलाइन कर्मचारियों का अप्रदत्त वेतन	
2.	लैंडिंग शुल्क	
3.	पार्किंग शुल्क	
4.	हाउसिंग शुल्क	
5.	मार्ग दिक्चालन और सुविधा शुल्क	
6.	टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग शुल्क	
7.	ईंधन शुल्क	
9.	उक्त विमान वस्तु के पट्टाकरण या वित्तपोषण के संबंध में देय माल और सेवा कर	
10.	रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट सेवा प्रदाता का कोई अन्य बकाया	
कुल बकाया राशि (रु.)		

अधिकृत व्यक्ति का नाम :

पदनाम :

संगठन का नाम :

दिनांक और स्थान :

प्रपत्र : III

<u>विमान वस्तुओं में हितों के संरक्षण अधिनियम, 2025 (2025 का 17) के तहत उपचार के लिए आवेदन</u>

<table>
<tr><th colspan="3">खंड 1 – विमान विवरण</th></tr>
<tr><td>क्रम.सं.</td><td>पंजीकरण चिह्न</td><td>वीटी-</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>विनिर्माता का नाम और पता</td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td>विमान का प्रकार और मॉडल</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>विमान के विनिर्माता की क्रमांक संख्या</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>इंजनों का प्रकार और मॉडल</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>लेनदार का नाम और पंजीकृत पता</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>देनदार का नाम और पंजीकृत पता</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>कोई अन्य व्यक्ति जिसका उस वस्तु पर अधिकार हो (बंधककर्ता)</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>मांगे गए उपाय का विवरण</td><td></td></tr>
<tr><th colspan="3">खंड 2 आईडीईआरए धारक / अधिकृत व्यक्ति या उसके प्रमाणित नामिती का विवरण</th></tr>
<tr><td colspan="3">आवेदक है: (कृपया उपयुक्त बॉक्स पर निशान लगाएँ)

आईडीईआरए धारक ☐   *प्राधिकृत पक्ष ☐   *प्रमाणित नामिती ☐

*आईडीईआरए धारक से प्राधिकरण पत्र अधिकृत व्यक्ति या उसके प्रमाणित नामिती द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।</td></tr>
<tr><td>नाम:</td><td></td><td>हस्ताक्षर:</td></tr>
<tr><td>पता</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>ईमेल</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>दूरभाष</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><th colspan="3">खंड 3— केवल रजिस्ट्री प्राधिकरण के आधिकारिक उपयोग हेतु</th></tr>
<tr><td colspan="2">नाम:</td><td>पद का नाम:</td></tr>
<tr><td colspan="2">तारीख:</td><td>हस्ताक्षर:</td></tr>
</table>

प्रपत्र : IV

<u>स्टेकधारक द्वारा बकाया देय राशियों का दावा करने हेतु प्रारूप</u>

<table>
<tr><th colspan="4">क. स्टेकधारक का विवरण</th></tr>
<tr><td>स्टेकधारक का नाम</td><td>पता</td><td>राष्ट्रीयता</td><td>व्यापार का मुख्य स्थान</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>पट्टेदार/देनदार का नाम</td><td>पता</td><td>राष्ट्रीयता</td><td>व्यापार का मुख्य स्थान</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><th colspan="4">ख. विमान वस्तु विवरण</th></tr>
<tr><td>पंजीकरण चिह्न</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

विमान का प्रकार और मॉडल	
विमान विनिर्माता की क्रमांक संख्या	
इंजन का प्रकार और मॉडल	
इंजन विनिर्माता की क्रमांक संख्या	1. 2. 3. 4.

क. दावा की गई बकाया राशि

क्रम सं.	वर्ग	राशि (रु .)	अंतर्राष्ट्रीय रजिस्ट्री में पंजीकृत है या नहीं
1.	एयरलाइन कर्मचारियों का अप्रदत्त वेतन		
2.	लैंडिंग शुल्क		
3.	पार्किंग शुल्क		
4.	हाउसिंग शुल्क		
5.	मार्ग दिक्चालन और सुविधा शुल्क		
6.	टर्मिनल दिक्चालन लैंडिंग शुल्क		
7.	ईंधन शुल्क		
9.	उक्त विमान वस्तु के पट्टाकरण या वित्तपोषण के संबंध में देय माल और सेवा कर		
10.	रजिस्ट्री प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट सेवा प्रदाता का कोई अन्य बकाया		
कुल बकाया राशि (रु.)			

अधिकृत व्यक्ति का नाम :
पद का नाम :
संगठन का नाम :
दिनांक और स्थान :

[फा. सं. एवी-11012/4/2020-ए-एमओसीए-भाग(1)]

असंगबा चुबा आओ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 2025

G.S.R. 673(E).—The following draft of certain rules which the Central Government proposes to make in

exercise of the powers conferred by Section 4, sub-section (1) and sub-section (2) of Section 5 read with Section 10 of the Protection of Interests in Aircraft Objects Act, 2025 (17 of 2025), is hereby published as required by sub-section (3) of Section 10 of the said Act, for information to all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to Director to the Government of India, 'B' Block, Rajiv Gandhi Bhawan, New Delhi – 110003; or mailed to rohit.raj@gov.in;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. Short Title, Commencement and Extent. – (1) These rules may be called the Protection of Interests in Aircraft Objects Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means The Protection of Interests in Aircraft Objects Act, 2025 (17 of 2025);

(b) "Convention" means the Convention on International Interests in Mobile Equipment, signed at Cape Town on 16 November, 2001;

(c) "CTC Register" means the register as maintained under these rules;

(d) "Application" means any application, notice, or document submitted under these rules;

(e) "Form" means a form appended in the Appendix 'C' to these rules;

(f) "IDERA" means an Irrevocable De-registration and Export Request Authorization substantially in the form set forth in the Protocol to the Convention;

(g) "International Registry" means the International Registry established under Article 16 of the Convention;

(h) "Registry Authority" means the Directorate General of Civil Aviation constituted under section 3 of the Bharatiya Vayuyana Adhiniyam, 2024 (16 of 2024);

(i) "stakeholder" means the stakeholder as listed in Appendix 'B' to these rules;

(2) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings assigned to them in the Act.

3. Directions by Registry Authority.— (1) The Registry Authority shall issue directions with the objective of implementation of the Convention and Protocol.

(2) The directions shall be issued after placing the draft on the website of the Directorate General of Civil Aviation for a period of fourteen days for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby.

Provided that the Director General may, in the public interest and by order in writing, dispense with the requirement of inviting such objection and suggestions or reduce the period for submitting such objections and suggestions.

(3) Every direction issued under sub-rule (1) shall be complied with by the person(s) or entity(ies) to whom such direction is issued.

4. Functions of the Registry Authority. — The Registry Authority shall be responsible for:

(i) establishing and maintaining the CTC Register; and

(ii) and for any matter arising out of the above.

5. Registration of interest on an aircraft object with Registry Authority.- (1) Any debtor operating an aircraft object, where such aircraft object is subjected to an international interest, shall register the interest in such aircraft object with the Registry Authority within thirty (30) days of registration of such aircraft object in India;

Provided that in respect of any aircraft object that, as on the date of commencement of these rules, is already registered in India or is being operated in India and is subject to an international interest, the debtor shall register such international interest with the Registry Authority within ninety (90) days from the date of these rules coming into force.

(2) The application for registration under sub-rule (1) shall be made in Form I and shall be registered by the Registry Authority in the CTC Register on being satisfied that the application is complete in all respects and complies with these rules.

(3) Upon registration under sub-rule (1), the Registry Authority identifies such aircraft object through Indian nationality registration mark assigned to the aircraft in its Certificate of Registration.

6. Maintenance of records of dues on an aircraft object. – (1) Upon registration under sub rule (3) of Rule 5, the debtor shall maintain and submit to the Registry Authority, records of dues arising from, related to or owed in regard to the ownership or use by the owner or operator of the aircraft object.

(2) Such debtor shall submit and periodically maintain with the Registry Authority, the dues listed under Appendix A of these Rules.

(3) The submission and maintenance shall be made by the debtor, not later than the 5th day of the calendar month following the end of each quarter, and shall continue to be submitted and maintained for as long as the interest on the aircraft object remains registered on the CTC Register in India.

(4) Such submission shall be made in Form II appended to these Rules electronic format on the portal hosted by the Directorate General of Civil Aviation.

(5) Notwithstanding the period of submission to be made under sub-rule (3), the debtor shall submit and inform the Registry Authority, in the event of :-

(a) a specific direction by the Registry Authority; or

(b) default in payment to the creditor.

7. Access to the CTC Register. – The CTC register shall be electronically accessible in respect of the specific aircraft object to the category of stakeholder and the creditor.

8. Notifying the Registry Authority for occurrence of default. – (1) A creditor before exercising any remedy under the Convention or Protocol shall notify the Registry Authority of declared default in Form III.

(2) Upon receipt of such application in Form III under sub-rule (1), the Registry Authority shall acknowledge the receipt.

9. Co-ordination with Stakeholders.– (1) Upon acknowledgement of receipt under sub-rule (2) of Rule 8, before the end of the next working day, the Registry Authority shall:-

(a) Notify all the category of stakeholders;

(b) Publish a notice on its website with aircraft object details;

(c) Request submission of outstanding dues within three working days;

(2) The category of stakeholder claiming outstanding dues on such aircraft object shall submit detailed statements in Form IV.

10. De-registration and export of aircraft. — If the creditor intends to exercise remedy under Article XIII of the Protocol, the Registry Authority shall take actions in accordance with the Bharatiya Vayuyana Adhiniyam, 2024 or any rules made thereunder.

11. Dues arising after default. — Any dues listed in Appendix 'A' arising after notifying the Registry Authority under Rule 8 shall have priority and would need to be cleared by the IDERA Holder to the stakeholders listed at (i) to (iv) and (vi) before the aircraft is exported from India as per the provisions of Bharatiya Vayuyana Adhiniyam, 2024 or any rules made thereunder.

12. Registration of Rights or interests under Article 40 of the Convention. — The right or interest under Article 40 of the Convention of the category of stakeholder listed in Appendix 'B', shall be registered as Registrable Non Consensual Rights or Interests (RNCRI) on such aircraft object by the stakeholder with the International Registry.

13. **Amendment of Appendices.** — The Registry Authority may amend the Appendices under these Rules.

Appendix A

[Rule 6]

Categories of dues on an aircraft object

a) Unpaid wages of airline employees

b) Airport operator charges including landing charges, housing charges and parking charges.

c) Route Navigation and Facilitation Charges

d) Terminal Navigation Landing Charges

e) Fuel charges

f) Goods and service tax payable in respect of the leasing or financing of that aircraft object

g) Any other dues of a service provider as specified by the Registry Authority.

Appendix B

[Rule 12]

Categories of stakeholders

(i) Airline employees

(ii) Airport Operators

(iii) Air Navigation Service Provider

(iv) Goods and Services Tax Authority

(v) any person obtaining a court order permitting attachment of an aircraft object in partial or full satisfaction of a legal judgment.

(vi) Any other authority as specified by the Registry Authority

Appendix C

Form- I

Application for Registration of Aircraft Object in CTC Register

SECTION 1 – Aircraft Object Details		
S.N.	Registration Mark	**VT-**
1.	Name and address of Manufacturer	
2.	Type and Model of Aircraft Object	
3.	Manufacturer's serial number of Aircraft Object	

4.	Type and Model of Engines	
5.	Name and registered address of Creditor	
6.	Name and registered address of Debtor	
7.	Any other person having right in or over the object (mortgagee)	

SECTION 2 ***Authorised Person or its certified designee details***

The applicant is: (Please tick the appropriate box)

*Authorised Party ☐ *** Certified Designee*** ☐

****Authority letter for its certified designee.***

Name:		Signature:

Address	
Email	
Telephone	

SECTION 3— Registry authority Official use only

Name:	Designation:
Date:	Signature:

Form: II

Format for Reporting Dues by Debtor

A. Particulars of Creditor(s) / Lessor(s)/Debtor			
Name of Owner	Address	Nationality	Principal Place of Business
Name of Lessor/Creditor	Address	Nationality	Principal Place of Business
Name of Lessee/Debtor	Address	Nationality	Principal Place of

			Business

B. Aircraft Object Details	
Registration Mark	
Type and Model of Aircraft	
Aircraft Manufacturer's Serial Number	
Model of Engine	
Engine Manufacturer's Serial Number	1. 2. 3. 4.

C. SUMMARY OF OUTSTANDING DUES for the Aircraft/object at the end of MM/YYYY		
Sl.No.	Category	Amount (Rs.)
1.	Unpaid wages of airline employees	
2.	Landing Charges	
3.	Parking Charges	
4.	Housing charges	
5.	Route Navigation and Facilitation Charges	
6.	Terminal Navigation Landing Charges	
7.	Fuel charges	
9.	Goods and service tax payable in respect of the leasing or financing of that aircraft object	
10.	Any other dues of a service provider as specified by the Registry Authority	
Total Outstanding Amount (Rs.)		

Name of Authorised person :

Designation :

Organization Name :

Date & Place :

Form: III

Application for Remedy under the Protection of Interests in Aircraft Objects Act, 2025 (17 of 2025)

SECTION 1 – Aircraft Details		
S.No.	Registration Mark	**VT-**
1.	Name and address of Manufacturer	
2.	Type and Model of Aircraft	
3.	Manufacturer's serial number of Aircraft	
4.	Type and Model of Engines	
5.	Name and registered address of Creditor	
6.	Name and registered address of Debtor	
7.	Any other person having right in or over the object (mortgagee)	
8.	Details of remedy sought	

SECTION 2 IDERA holder/ *Authorised Person or its certified designee details*			
The applicant is: (Please tick the appropriate box) IDERA Holder ☐ *Authorised Party ☐ **** Certified Designee*** ☐ ****Authority letter from IDERA Holder must be submitted by Authorised person or its certified designee.***			
Name:		Signature:	
Address			
Email			
Telephone			

SECTION 3— Registry authority for Official use only	
Name:	Designation:
Date:	Signature:

Form: IV

Format for Claiming Outstanding Dues by Stakeholder

A. Particulars of Stakeholder			
Name of Stakeholder	Address	Nationality	Principal Place of Business
Name of Lessee/Debtor	Address	Nationality	Principal Place of Business

B. Aircraft Object Details	
Registration Mark	
Type and Model of Aircraft	
Aircraft Manufacturer's Serial Number	
Engine Type & Model	
Engine Manufacturer's Serial Number	1. 2. 3. 4.

C. OUTSTANDING DUES Claimed			
Sl.No.	Category	Amount (Rs.)	Whether Registered with International Registry or Not
1.	Unpaid wages of airline employees		
2.	Landing Charges		
3.	Parking Charges		
4.	Housing charges		
5.	Route Navigation and Facilitation Charges		
6.	Terminal Navigation Landing Charges		

7.	Fuel charges		
9.	Goods and service tax payable in respect of the leasing or financing of that aircraft object		
10.	Any other dues of a service provider as specified by the Registry Authority		
Total Outstanding Amount (Rs.)			

Name of Authorised person :

Designation :

Organization Name :

Date & Place :

[F. No. AV-11012/4/2020-A-MOCA-Part(1)]

ASANGBA CHUBA AO, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.